Telephone No.-07423-292090
Email Id.-dcourtnee-mp@nic.in

कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::- निविदा आमंत्रण सूचना -::

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण में पुरूष कर्मचारीगण हेतु वर्दी (पोलीवस्त्र-सफेद/खाकी वर्दी मय टोपी, ब्लेजर) तथा महिला कर्मचारीगण हेतु वर्दी (साड़ी, ब्लाउज पेटीकोट तथा ब्लेजर) आदि का क्रय बाबत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। उपार्जन अभिकरण संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा म.प्र. राज्य पावरलूम बूनकर सहकारी संघ मर्या., बुरहानपुर के अतिरिक्त खुले बाजार के इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/ निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच में **दिनांक 22 जुलाई, 2023 को सायं 5:00 बजे तक** आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.in एवं जिला न्यायालय, नीमच की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/neemuch पर भी उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें :-

1. चतुर्थ श्रेणी पुरूष कर्मचारीगण के पोलीवस्त्र-सफेद/खाकी वर्दी मय टोपी, ब्लेजर तथा महिला कर्मचारीगण के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ब्लेजर का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित-2022) के विहित प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा।

2. वर्दी कपड़ा व सिलाई सहित प्रदाय की जाना अनिवार्य होगा। निविदा में पुरूष कर्मचारी की वर्दी तथा ब्लेजर एवं महिला कर्मचारीगण के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज की दरें प्रति नग कपड़ा व सिलाई सहित दर्शित की जाना एवं कपड़ा निर्माण कंपनी का नाम उल्लेख करते हुए कपड़ा/सामग्री के सेम्पल संलग्न किये जाना होगा। फर्म की सील कपड़ा नमूना पर होना अनिवार्य है।

3. वर्दी एवं ब्लेजर के कपड़े के नमूने प्रदाय शेड/रंग में वेरियेशन/भिन्नता नहीं आना चाहिए। वर्दी बनवाये जाने के बाद कपड़ा सिकुड़ना अथवा रेशे नहीं आने चाहिए। निविदा में उल्लेखित कंपनी की वर्दी न होने एवं निम्न स्तर की होने की दशा में निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापस लेना होगा तथा निर्धारित कंपनी अनुसार ही वर्दी अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

4. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "वर्दी सामग्री प्रदाय हेतु निविदा" लिखा जावें।

5. निविदा आवेदन पत्र के संलग्न राशि रूपये 1,000/-(एक हजार रू.) की सुरक्षा निधि/गारंटी मनी हेतु डी.डी. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के नाम देयक होगा, जो किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। उक्त डी.डी. निविदा की अंतिम वैधता तिथि के बाद पैंतालिस दिन से अधिक की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक होगा।

-- 02 --

6. नियत **<u>दिनांक 22 जुलाई, 2023 को सायं 5:00 बजे</u>** के पश्चात् प्राप्त निविदा/निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

7. आदेशानुसार वर्दी सामग्री जिला न्यायालय, नीमच में पहुंचाने तक का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

8. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी/सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है।

9. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच किसी भी शर्त के भंग होने पर स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का अनुबंध बगैर सूचना दिए निरस्त कर सकते है तथा निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. निविदा स्वीकृति उपरांत जारी क्रय आदेश प्राप्त होने के 01 माह में वर्दियां सिलाई करवाई जाकर निविदाकार के स्वयं के उत्तरदायित्व पर प्रदाय की जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा विलम्ब होने की दशा में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

11. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2024 तक के लिए मान्य होगी।

12. निविदा की दरें शासन द्वारा प्रचलित जी.एस.टी. सहित दी जावें और प्रति नग वर्दी में लगने वाले कपड़े की कुल नप्ती अनुसार कपड़ा की दर व सिलाई की दर पृथक-पृथक उल्लेखित की जावें।

13. निविदा प्रारूप एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्य अंकित होना चाहिये।

14. निविदाकार, वाणिज्य कर विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें तथा फर्म ने आयकर अदा किया है, उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।

15. सफल निविदाकर्ता को कोई अग्रिम देय नहीं होगा। प्रदाय वर्दी सामग्री की जांच, मिलान/वेरीफिकेशन उपरांत ही नियमानुसार टैक्स कटौत्रा पश्चात् भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से निविदाकार/संस्था के बैंक खाते में सीधे किया जावेगा।

26/06/2023

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

E:\E-\Desktop\Office Work 2\Vardi Kraya\Nivida Suchna and Shart.doc

Telephone No.-07423-292090
Email Id.-dcourtnee-mp@nic.in

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::- वर्दी क्रय हेतु वांछित सामग्री की सूची -::

01- **पुरूष** कर्मचारीगण हेतु :- पोलीवस्त्र-सफेद/खाकी वर्दी मय टोपी के तथा ब्लेजर।

02- महिला कर्मचारीगण हेतु :- साड़ी ब्लाउज एवं पेटीकोट तथा ब्लेजर।

उक्त वर्दी (पोलीवस्त्र-सफेद/खाकी वर्दी मय टोपी एवं साड़ी, ब्लाउज एवं पेटीकोट तथा ब्लेजर) कपड़ा सहित सिलाई करवाकर प्रदाय की जानी है।

26/06/2023

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच (म.प्र.)

C:\Users\Neemuch\Desktop\Vardi Kraya\Nivida Suchna and Shart.doc

Telephone No.-07423-292090
Email Id.-dcourtnee-mp@nic.in

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::- निविदा आवेदन पत्र 2023-24 -::

स.क्रं.	विवरण	विवरण
1	निविदाकर्ता संस्था का नाम, पता तथा दूरभाष/मोबाईल क्रमांक	....
2	संस्था के मालिक का नाम	....
3	संस्था का पंजीयन क्रमांक	....
4	संस्था का जी.एस.टी. क्रमांक	....
5	सामग्री प्रदाय किये जाने का पूर्व अनुभव	....
6	क्या संस्था/विक्रेता किसी सामग्री को प्रदाय करने हेतु अधिकृत संस्था है, यदि हॉ तो विवरण दीजिए (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावें)?	....
7	क्या शासन ने संस्था को सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया है?	....
8	संस्था का बैंक शाखा का नाम, खाता क्रमांक, कोड क्रमांक	....

मेरे द्वारा निविदा संबंधी समस्त नियम एवं शर्तें पढ़ व समझ ली गई है। उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(निविदाकर्ता/आवेदक के हस्ताक्षर)

(निविदाकर्ता/आवेदक का नाम)

26/06/2023

वास्ते- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म.प्र.)

E:\E-\Desktop\Office Work 2\Vardi Kraya\Nivida Suchna and Shart.doc